The court of D.A.S.J. 1st, Jamui
Case no-SC ST 31/2022

08.04.2026 एकमात्र अभियुक्त मुरारी यादव अनुपस्थित है। अभिलेख में नियत तिथि होने के कारण अभिलेख मेरे समक्ष प्रस्तुत हुआ। विद्वान अपर लोक अभियोजक का कथन है कि एकमात्र अभियुक्त मुरारी यादव का देहांत हो चुका है। अतः इस वाद की अग्रिम कार्यवाही बंद करते हुये इस अभिलेख का निस्तारण किया जाए।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित हेाता है कि अभियुक्त मुरारी यादव के विरूद्ध बी0एन0एस0एस0 की धारा 84 के अंतर्गत निर्गत प्रक्रिया का तामिला थाना चंद्रदीप से प्राप्त हुआ है। जिसका डी0आर0 संख्या 21/2026 दिनांक 04.01.2026 तथा आर0 60/2025 दिनांक 20.12.2025 से विदित होता है कि मुरारी यादव की मृत्यु पूर्व हो चुकी है एवं तामिला के साथ अभियुक्त मुरारी यादव का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है, जिसके अनुसार मुरारी यादव की मृत्यु हो चुकी है। अपने इस तामिला प्रतिवेदन एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक के कथन के आलोक में एकमात्र अभियुक्त मुरारी यादव की मृत्यु के कारण इस मामले में कार्यवाही समाप्त की जाती है।

कार्यालय इस अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करे।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
जमुई।

The court of D.A.S.J. 1st, Jamui
Case no- ST 238/2024

12.02.2026 काराधीन दोषी नरेश यादव को कारा से प्रस्तुत किया गया। अभिलेख आज सजा के बिंदु पर सुनवायी हेतु नियत था। दोषी नरेश यादव को उसके द्वारा किये गये अपराध कृत्य, जो भा0द0वि0 की धारा 354 के अंतर्गत दण्डनीय है, के लिये 3 वर्ष 1 माह के सादा कारावास तथा 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दी जाती है। यह अर्थ दण्ड अदा नही किये जाने पर दोषी को अतिरिक्त रूप से 15 दिन के सादे कारावास की सजा भोगनी होगी। कारावास की इस सजा में विचारण के दौरान भोगी गयी सजा को समायोजित (Set off) किया जाएगा।

कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि इस निर्णय की प्रति सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जमुई प्रेषित करे ताकि पीड़िता नीतू कुमारी, जिस पर आपराधिक हमला हुआ है तथा जो अभिलेख में उपलब्ध सामग्री के अनुसार मंदबुद्धि एवं स्पष्ट रूप से बोलने में असमर्थ है, को सरकार की पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके।

कार्यालय इस अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करे।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
जमुई।